

## भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव

### प्रलिस के ललल:

राष्ट्रपति, भारतीय चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ।

### मेन्स के ललल:

राष्ट्रपति का चुनाव और महाभयिग ।

## चरचा में क्यों?

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है, इसके साथ ही उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिये देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किये जाएंगे ।

## राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

### परचिय:

- भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक नरिवाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से कया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं ।
- चुनाव का आयोजन **भारतीय चुनाव आयोग (EC)** द्वारा कया जाता है ।
  - नरिवाचक मंडल संसद के **उच्च एवं नमिन सदन (राज्यसभा और लोकसभा सांसदों)** के सभी नरिवाचति सदस्यों एवं राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की **वधिनसभाओं (वधियकों)** के नरिवाचति सदस्यों से बना होता है ।
- **संबंधित संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 54:** राष्ट्रपति का चुनाव ।
  - **अनुच्छेद 55:** राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रया ।
  - **अनुच्छेद 56:** राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल ।
  - **अनुच्छेद 57:** पुनरनरिवाचन हेतु पात्रता ।
  - **अनुच्छेद 58:** राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता ।

### प्रक्रया:

- मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है, जहाँ उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है और 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखल करता है ।
- ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नरिवाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं ।
  - 50 प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम तब लागू कया गया जब चुनाव आयोग ने 1974 में देखा कि कई ऐसे उम्मीदवारों, जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम थी, द्वारा चुनाव लड़ने के लिये नामांकन दाखल कया गया ।
- एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है ।

## प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?

- प्रत्येक सांसद या वधियक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है ।
- **राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 नश्चिति है ।**
- वधियकों के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों की जनसंख्या पर नरिभर करता है ।
  - **संवधिन (84वाँ संशोधन) अधनियम 2001** के अनुसार, वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आँकड़ों पर आधारित है जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने के बाद कया जाएगा ।
- प्रत्येक वधियक के वोट का मूल्य राज्य की वधिनसभा में वधियकों की संख्या से वभाजित करके तथा प्राप्त भागफल को 1000 से वभाजित करके नरिधारित कया जाता है ।

- उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वधायक के लिये सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। महाराष्ट्र में एक वधायक का वोट मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह सिर्फ 8 है।

॥



## जीत सुनिश्चित करने के लिये क्या आवश्यक है?

- एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से नरिवाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मतों का योग किया जाता है तथा जीत के लिये उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% + 1 प्राप्त करना होता है।
- आम चुनावों के विपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिये वोट करते हैं तथा नरिवाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखे जाते हैं।
- राष्ट्रपतिका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धतिद्वारा होता है तथा गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

## राष्ट्रपति पर महाभियोग:

- अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल 'संवधान के उल्लंघन (Violation Of The Constitution) के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
- हालाँकि भारतीय संवधान में 'संवधान का उल्लंघन' वाक्यांश के अर्थ को परभाषित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment Process) संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन (Originating House) में विशेष बहुमत (दो-तहियाँ) द्वारा पारित किया जाना चाहिये।
- इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में विचार हेतु भेजा जाता है। दूसरा सदन एक नरिषेक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जाँच के लिये एक प्रवर समिति का गठन किया गया है।
- प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का वकिल चुन सकता है या ऐसा करने के लिये भारत के किसी व्यक्ति/वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है।
2. लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू